N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म)

बोईसर पोलीस ठाणे जि. पालघर

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदारी प्रक्रिया संहिता)

1. **District (जिल्हा):** पालघर **P.S.(ठाणे):** भोईसर **Year (वर्ष):** 2019

FIR No.(प्रथम खबर क्र.): 0058 **Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ):** 28/02/2019 01:56 बजे

2.

S.No. (अ.क्र.)	Acts (अधिनियम)	Sections (कलम)
1	भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम, १९८८	7

3. (a) **Occurrence of offence (गुन्ह्याची घटना):**

1. **Day(दिवस):** दरमियानी दिन
Time Period (कालावधी):
Date From (दिनांक पासून): 12/02/2019
Date To (दिनांक पर्यंत): 27/02/2019
Time From (वेळेपासून): 13:00 बजे
Time To (वेळेपर्यंत): 13:45 बजे

(b) **Information received at P.S. (माहिती मिळालेले पोलीस ठाणे):**
Date (दिनांक): 27/02/2019 **Time (वेळ):** 14:53 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ**
Entry No. (नोंद 004 **Date & Time (दिनांक आणि वेळ):** 28/02/2019 01:08 बजे

4. **Type of Information (माहितीचा प्रकार):** लेखी

5. **Place of Occurrence (घटनास्तळ):**

1.(a) **Direction and distance from P.S.(पोलीस ठाण्यापासून दिशा व अंतर):** पूर्व, 2 किमी
Beat No. (बिट क्र.):

(b) **Address (पत्ता):** मधुर होटेल समोर बोईसर,पालघर, 401501

(c) **In case, outside the limit of this Police Station, then (या पोलीस ठाण्याच्या हद्दीबाहेर असल्यास):**
Name of P.S.(पोलीस ठाण्याचे नांव): भोईसर
District(State) (जिल्हा(राज्य)): पालघर(महाराष्ट्र)

6. **Complainant / Informant (तक्रारदार/माहिती देणारा):**

(a) **Name (नाव):** अब्दुल नईम मेहंदी हसन चैधरी

(b) **Father's Name (वडील का नाव) :** मेहंदी हसन चैधरी

(c) **Date/Year of Birth (जन्म** 1971 (d) **Nationality (राष्ट्रीयत्व):** भारत

(e) **UID No. (यु.आय.डी. क्र.):**

(f) **Passport No.(पारपत्र क्र.):** **Date of Issue (अदा केल्याची तारीख):**

Place of Issue (अदा केल्याची ठिकाण):

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN)**

S.No.(अ.	Id Type (ओळखपत्राचा प्रकार)	Id Number (ओळखपत्राचा क्रमांक)
1		

(h) **Address (पत्ता):**

Scanned by CamScanner

(h) **Address (पत्ता):**

S.No.(अ. क्र.)	Address Type (पत्याचा प्रकार)	Address (पत्ता)
1	वर्तमान पता	रुनं 12, राहुल निवास,शिगाव रोड, भांडारवाडा, बोईसर,पालघर,भोईसर,पालघर,महाराष्ट्र, 401501,भारत
2	स्थायी पता	रुनं 12, राहुल निवास,शिगाव रोड, भांडारवाडा, बोईसर,पालघर,भोईसर,पालघर,महाराष्ट्र, 401501,भारत

(i) **Occupation (व्यवसाय):**

(j) **Phone number (फोन नं.):** **Mobile (मोबाइल नं.):** 91-9764820340

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (माहीत असलेल्या /संशयीत/अनोळखी आरोपीचा संपूर्ण पत्ता):**

S.No. (अ.क्र.)	Name (नाव)	Alias (उर्फनाव)	Relative's Name (नातेवाईकाचे नाव)	Present Address (वर्तमान पता)
1	नजीब नईम ईनामदार			1. निर्मला पार्क प्रगती ऍस्टर ,सरावली बोईसर,पालघर,भोईसर,पालघर,महाराष्ट्र, भारत
2	प्रशांत बाळासाहेब पासलकर			1. निर्मला पार्क ,सरावली बोईसर,पालघर, भोईसर,पालघर,महाराष्ट्र,भारत

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (तक्रारदार/माहिती देणा-याकडून तक्रार करण्यातील विलंबाची कारणे):**

9. **Particulars of properties of interest (संबंधीत मालमत्तेचा तपशील):**

S.No. (अ.क्र.)	Property Category (मालमत्ता वर्ग)	Property Type (मालमत्ता प्रकार)	Description (वर्णन)	Value(In Rs/-) (मुल्य (रू. मध्ये))
1	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	तीन लाख रूपये की रिश्वत जिसमे देढ लाख के 2000 रूपये के 75 नोट और बच्चो के खेलनेमे इस्तमाल होनेवाले 2	300,000.00

10 **Total value of property (In Rs/-)-(चोरीस गेलेल्या मालमत्तेचे एकूण मुल्य (रू. मध्ये)):** 300,000.00

11 **Inquest Report / U.D. case No., if any (इन्क्वेस्ट अहवाल/ अकस्मात मृत्यू प्रकरण क्र.,जर असल्यास)):**

S.No. (अ. क्र.)	UIDB Number (यु.आय.डी. बी.क्र.)

12 **First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):**

मै, अब्दुल नईम मेहंदी हसन चैधरी, वय- 48 वर्षे, रा. रु.नं. 12, राहुल निवास, शिगाव रोड, भांडारवाडा, बोईसर, ता. जि. पालघर, मोबाईल नं. 9764820340 फिर्यादि लिखकर देता हुं की, मेरा ट्रान्सपोर्टींग का कारोबार है। मेरे खिलाफ ताहिरा परवीन बन्नेमियां शेख ने बोईसर पोलीस स्टेशन में दि. 01/02/2018 को अर्जी दिया था । जिसमें उसने मैने उसको एक जगह के व्यवहार में फसाया है एेसा मेरे उपर आरोप किया था । उस सिलसिले में मुझे बोईसर पोलीस स्टेशन से पी.एस.आय. नजीब इनामदार ने बुलाया था । उनके पास मैने मेरा जबाब दिया था । उसके बाद मेरे खिलाफ ताहिरा परवीन बन्नेमियां शेख के कंम्प्लेट के उपर बोईसर पोलीस स्टेशन एफआयआर क्र. 27/2019 कलम 420,465,468,471,34 भादवि के तहत दि. 24/01/2019 को गुन्हा दाखिल हुआ। उस गुन्हे में मुझे उसी दिन बोईसर पुलीस स्टेशन लेके गये थे। उस दिन मुझे गुन्हे में अरेस्ट न करने के लिये आय.ओ. पी.एस.आय. पासलकर और पी.एस.आय. नजीब इनामदार ने मुझे पाच लाख रूपये मांगे। मैने उन्हे पैसे कम करने को कहा तो बातचीत के बाद उन्हांेने तीन लाख रूपये फायनल किये और मुझे अंटीसेपटरी बेल के लिये जाने को कहा। मैने सेशन कोर्ट पालघर से अंटीसीपेटरी बेल करवाया ,मेरा बेल दि. 07/02/2019 को मंजुर हुआ था । दि. 08/02/2019 को उस गुन्हे के आय.ओ. पी.एस.आय. पासलकर ने मुझे हाटेल शबरी, संजय नगर, नवापुर रोड, बोईसर में बुलाया, और मुझे बेल को आर्डर हुआ क्या इस बारे में पुछा । उसके साथ पीएसआय नजीब इनामदार भी थे । पी.एस.आय. पासलकर और नजीब इनामदार ने मुझे अरेस्ट न करने का 3 लाख रूपये देने को कहा और कहा की हम तुम्हे गुन्हे से 169 करके आपका नाम निकलवा देते है । मैने उन्हे इतना पैसा मेरे पास नही है एेसे कहा । तो उन्होने कहा की हमे पैसा बडे साहाब को भी देना है हम आपको दि.12/02/2019 तक का टाईम देते है आप उस तारीख को इसी शबरी हाटेल में शाम के 4 बजे पैसे लेके आईये।लेकीन मुझे पी.एस.आय. पासलकर और पी.एस.आय. नजीब इनामदार को रिश्वत देने की इच्छा नही थि इसलीये मे अन्टी करप्शन ब्युरो, ठाणे के प्रमुख पोलीस अधीक्षक साहब को मिलकर सब जानकारी देकर उनके उपर अन्टी करप्शन ब्युरो की तरफ से कानुनी कारवाई करने की विनंती की, उसके बाद पोलीस अधीक्षक साहबने मेरी तक्रार पे कारवाई करने के लिये पोलीस निरीक्षक सलील भोसले को सुचना दी।उसके बाद पोलीस निरीक्षक भोसले साहब ने मुझे मेरे स्वहस्ताक्षर मे तक्रार

Scanned by CamScanner

लिखने के लिए कहा, तो मुझे अच्छा लिखने नही आता ऐसे बोलने के बाद पोनि. भोसले साहाब ने मैने बताई हुवी कंम्प्लेंट कंम्प्युटर पे टाईप करके प्रिंट निकालके दी। मैने पढकर उसपर उसी दिन दि.12/02/2019 को दस्तकत किये। और उसके साथ मैने मेरे खिलाफ बोईसर पोलीस स्टेशन मे दाखिल गुन्हे के कागजाद और सेशन कोर्ट पालघर में मेरा अंटीसीपेटरी मंजुर हुआ उसके कागजाद इन सबकी झेराक्स कापी दे दी। दिये हुवे तक्रारपर कारवाई करने के लिये ए.सी.बी.ठाणे आफिस के तरफ से दो पंच साक्षीदार को बुला लिया गया। उसके बाद पोलीस निरीक्षक भोसले साहब ने मुझे दोन्हो पंच साक्षीदार और उनकी टिम की पहचान करके दि और पडताळणी कारवाई किस तरह कि जाती हे ये समजाया। उसकेबाद मुझे और दोनो पंचो को व्हाईस रेकार्डर दिखाकर वो कैसे काम करते है उसकी जानकारी दि। उसी दिन बोईसर मे शबरी हाटेल मे मुझे पी.एस.आय.ईनामदार इन्होने मिलने के लिया बुलाया था। तब भोसले साहाब, पंच और उनकी टिम बोईसर आयी।तब मुझे डिजीटल व्हाईस रेकार्डर लगाकर एक पंच साक्षीदार के साथ पी.एस.आय.ईनामदार को मिलने शबरी हाटेल मे भेजा तो वो मिले नही तब उनको मैने मेरे फोन से फोन किया तेा ईनामदार साहब ने मुझे रात को आठ बजे शबरी हाटेल मे मिलने को बुलाया। वापस मै रात को शबरी हाटेल मे एक पंच के साथ डिजीटल व्हाईस रेकार्डर लगाकर ईनामदार साहब को मिलने गया तो ईनामदार साहब ने मेरे उपर दाखिल गुन्हे के बारेमे बात की और उसी दाखिल गुन्हे मे मुझे अरेस्ट नही करने के बारेमें बातचीत करके तिनलाख रुपये पीएसआय पासलकर साहब को देने बताया।दिनांक 14/02/2019 को मुझे पासलकर साहब ने जामीन लेके बोईसर पोलीस स्टेशन बुलाया था । तब मै मेरे साथ एक जामीन अेार पंच साक्षीदार डिजीटल व्हाईस रेेकाड्रर लगाकर बोईसर पोलीस स्टेशन आया तो पी.एस.आय.पासलकर और पी.एस.आय. ईनामदार इन्होने मेरे उपर दाखिल गुन्हे मे मुझे अरेस्ट नही किया इसलीये मुझसे तीन लाख रुपये रिश्वत की मांग की और मेरे पास उतने पैसे नही है एैसे बताने के बाद इनामदार साहब ने उनके दोस्तसे पैसे उधार लेके उन्हे और पासलकर साहब को देनेको बताया और पीएसआय पासलकर साहाब ने मेरे उपर दाखिल गुन्हे मे 169 करने के लिये पैसे बाद में बताअुंगा एैसे कहके रिश्वत की मांग की।उसके बाद दिनांक 21/02/2019 को वापस पंच साक्षीदार के साथ डिजीटल व्हाईस रेकार्डर लगाकर मै मैने जमा की हुई एक लाख रूपये रिश्वत देने के लिये पंच साक्षीदार के साथ सापळापुर्व कारवाई करनेके बाद पीएसाय इनामदार साहाब से मिलने शबरी हाटेल मे गया लेकीन उन्होने एक लाख रुपये लेनेसे इन्कार कर दिया और मुझे मालुम था तुम एैसा करोगे एैसा कहके निकलगये। उसकी वजहसे सापळा कारवाई हो नही पाई।दिनांक 27/02/2019 को मैने जैसे तैसे करके और पचास हजार इक्कठे करके और मेरे बच्चो के पास खेलने के लिये दो हजार रुपयो जैसे दिखने वाले नोट थे वो हुबहुब ओरीजनल नोटो जैसे दिखरहे थे, वो नोटो का ईस्तमाल करके रुपये बनाये । वो तीन लाख रुपये देकर सापळा कारवाई करने कि विनंती मैनेे पो.निरीक्षक भोसले साहब से की । तब सभी सापळा पथक और दोन्हो पंच साक्षीदार इनके सामने मैने 1,50,000/- रुपये और बच्चो के खेलने के लिये इस्तेमाल किए जाने वाले दो हजार रुपयो जैसे दिखने वाले नोट हाजीर कर दीये। उसके बाद पो.निरीक्षक भोसले साहब ने सापळा पुर्व कारवाई करके सभी नोटो को अन्थ्रासीन पावडर लगाकर मेरे जेब मे रख दिये और मैने पासलकर और इनामदार साहाब को फोन किया। तब इनामदार साहाब मुझे बाद में फोन करता हुं एैसे कहा था। कुछ समय बाद मुझे इनामदार साहब का फोन आया और उन्होने मुझे मधुर हाटले मे मिलने को बुलाया । उनको मिलने पंच और सापळा पथक के साथ जाते वक्त बोईसर में पोहचने पर मुझे पासलकर साहाब का फोन आया था। मगर मैने ओ उठाया नही। कुछ देर बाद इनामदार साहाब का फोन आया, तौ मैने फोन उठाके स्पिकर आन किया। मैने उन्हे बताया की मै थोडी देर में मधुर हाटेल पोहच रहा हूं। मधुर हाटेल के थोडे पहिले मैने गाडीमेंसे स्टाफ और पंच को उतराया। हाटेल के गेट के पास मुझे इनामदार और पासलकर साहाब मिले ओ दोनों युनिफार्म पे थे। हम अंदर अेसी हाल में बैठे। वहा पे हमारे में बातचीत हुई। थोडी देर बाद हम वहा से निकले और बाहर आये। तो इनामदार साहाब ने मुझे चीज कहा है एैसे पुछकर पैसेकी मांग की तो मैने गाडीमें है एैसे कहां । तो ओ बोले मै मेरा गाडी लेकर आता हूं उसकी डिकी में सामान रखो । इनामदार साहाब रस्ता क्रास करके गाडी लेकर आये और मेरे गाडी के सामने उनकी गाडी खडी की। तब मै पासलकर साहाब से 169 के बारेमें बात करके अपनी गाडी मंे गया और तुरंत बाहर आया। तो पीएसआय इनामदार ने अपनी रिमोट की से गाडी चालु की और उसकी डिकी ओपन की, तो मैने गाडी में पैसे रखे और उन्हे वैसे कहा और डिकी बंद की। तो इनामदार साहाब मुझे मै काल करता हूं एैसा कहके गाडी में बैठने गये तब मैने रिश्वत लेनेका इशारा दिया तब पोलीस निरीक्षक भोसले साहब और उनकी टिम ने पीएसआय ईनामदार और पीएसआय पासलकर को पकड लिया. मेरे दिनांक 12/02/2019 को दिये हुये शिकायत पर किये हुवे दिनांक 12/02/2019, 14/02/2019 को किये हुये पडताळणी के दौरान पीएसआय इनामदार और पीएसआय पासलकर नेे मेरे खिलाफ बोईसर पोस्टे मे दाखील गुन्हे मे मुझे अरेस्ट नही की इसलिये तिनलाख रुपये रिश्वतकी मांग कि थी । दिनांक 21/02/2019 को पीएसआय ईनामदार और पीएसआय पासलकर इन्होने मांगेहुवे तिनलाख रुपयेमेसे एक लाख रुपये मेरेपास जमा होने कारन वो पैसा देने के लिये मै इनामदार साहब को शबरी हाटेल मे मिला था तब मैने उन्हे लायेहुवे पैसे के बारेमे बताया तो उन्होने पैसे कम होनेके वजह से वो पैसे लिये नही और वह निकल गये।आज दिनांक 27/02/2019 केा सापळा कारवाई दरम्यान पीएसआय इनामदार और पासलकर ने मुझसे तीन लाख रूपये की रिश्वत जिसमे देढ लाख के 2000 रूपये के 75 नोट और बच्चो के खेलनेमे इस्तमाल होनेवाले 2000 रुपये के 75 डमी नोटो को पिएसआय इनामदार के गाडीमे रखकर स्विकार करने के बाद 13.45 बजे पकडे गये ।पीएसआय ईनामदार और पीएसआय पासलकर को रिश्वत कि मांग और रिश्वत स्विकारने वजहसे उनके उपर भ्रष्टाचार प्रतिबंध कायदे के नुसार गुन्हा दाखल करणे के लिये मेरी कानुनी फिर्याद है।

13. Action **Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at**
(केलेली कारवाईः बाब क्र.२ मध्ये नमूद केलेल्या कलमान्वये वरील अहवालावरून अपराध घडल्याचे.)

(1) **Registered the case and took up the investigation:** (प्रकरण नोंदविले आणि तपासाचे काम हाती घेतले): **or**

(2) **Directed (Name of I.O.)** (तपास अधिका-याचे SANDEEP ASHOK **Rank (पद):** SI (Sub-Inspector)

No.(क्र.): 15101000402SAP **to take up the Investigation** (ला तपास करण्याचे अधिकार दिले) **or**

(3) **Refused investigation due to** (ज्या कारणामुळे तपास करण्यास नकार

Scanned by CamScanner

or (ज्या कारणामुळे तपास करण्यास नकार दिला)

(4) **Transferred to P.S.**(गुन्हा दुसरीकडे पाठविला असल्यास त्या पोलीस ठाण्याचे नाव):

District (जिल्हा):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R. read over to the complainant / informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant free of cost. (प्रथम खबर तक्रारदाराला/खबरीला वाचून दाखविली, बरोबर नोंदविली असल्याचे त्याने मान्य केले आणि तक्रारदाराला/खबरीला खबरीची प्रत मोफत दिली.)

R.O.A.C.(आर. ओ .ए .सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant.**(तक्रारदाराची/खबर देणा-याची सही/अंगठा):

अब्दुल नईम चौधरी

15. **Date and time of dispatch to the court** (न्यायालयात पाठवल्याची तारीख व वेळ):

पोलीस ठाणे अंमलदार
बोईसर पोलीस ठाणे

Signature of Officer in charge, Police Station (ठाणे प्रभारी अधिका-याची

Name (नाम): kishor babanrao jagtap
Rank(पद): I (Inspector)
No.(सं.): PI

Scanned by CamScanner